भारतीय खाद्य निगम में अनियमितताएं

†*271. **श्री रमा शंकर कौशिक: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त अनियमितताओं के कारण सरकार को कितना घाटा हुआ है;

(ख) इन अनियमितताओं के क्या कारण हैं और ऐसे अनियमितताओं और वित्तीय घाटे के लिए सरकार द्वारा क्या जवाबदेही तय की गई है; और

(ग) इसमें कौन-कौन लोग अन्तर्ग्रस्त हैं और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम संपूर्ण देश में खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण और संचालन का कार्य करता है। इन प्रचालनों के दौरान खाद्यान्नों के स्टाक में कुछ कमियां आ जाती हैं जिनकी गणना 2 शीर्षों अर्थात् भण्डारण हानि और मार्गस्थ हानि के अधीन की जाती है। भण्डारण हानि अन्य बातों के साथ-साथ नमी ह्रास, बहु हैण्डलिंग, दीर्घकालिक भण्डारण और बिखरने के कारण होती है। मार्गस्थ हानि नमी ह्रास, तुलाई की विभिन्न विधियों, ट्रांसशिपमेंट, बिखरने आदि के कारण होती है। कभी-कभी भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की भूल-चूक के कारण भी भण्डारण और मार्गस्थ हानियां होती हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2000-01 के दौरान भण्डारण और मार्गस्थ हानियों की मात्रा तथा चोरी/उठाईगिरि के कारण हुई हानियां नीचे दी गई हैं:-

भण्डारण हानियां	227.00 करोड़ रुपये*
मार्गस्थ हानियां	172.00 करोड़ रुपये*
चोरी/उठाईगिरि	18.90 लाख रुपये*

*अनंतिम

विभिन्न हानियों के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध हानियों की रिकवरी करने सहित उचित विभागीय कार्रवाई की जाती है। जहां कहीं अपेक्षित होती है दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाती है। वर्ष 2001 के दौरान संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे विवरण-I पर दिए गए हैं।

†*तारांकित प्रश्न सं॰ 262 और 271 साथ-साथ लिए गए।

विवरण-I

वर्ष 2001 के दौरान हानियों सहित विभिन्न अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी ब्यौरे

क्र० सं०	लगाए गए दण्ड का स्वरूप	
1.	बर्खास्तगी/सेवा से हटाना/ अनिवार्य सेवा निवृत्ति	45
2.	रैंक घटाना	50
3.	समय वेतनमान में कमी	415
4.	वेतन वृद्धि रोकना/वेतन से रिकवरी करना	647
5.	प्रोन्नति रोकना	14
6.	निंदा	196
	जोड़	1367

Irregularities in FCI

@†*271. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the losses suffered by Government due to prevailing irregularities in the Food Corporation of India;

(b) the reasons for these irregularities and accountability fixed by Government for such irregularities and the financial loss; and

(c) the persons involved and the action taken by Government against them and if no action has been taken, so far, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Food Corporation of India (FCI) undertakes procurement, storage and movement of foodgrains throughout the country. During the

@Starred Question Nos. 262 and 271 were taken together.

†Original notice of the question was received in Hindi.

course of these operations, some shortages occur which are accounted for under two heads, viz. storage loss and transit loss. Storage loss occurs, *inter alia,* due to loss of moisture, multiple handling, prolonged storage and spillage. Transit loss takes place due to moisture loss, different modes of weighment, transhipment, spillage, etc. At time, storage and transit losses also occur due to acts of omission and commission on the part of FCI employees.

The extent of storage and transit losses and losses on account of theft/pilferage during the year 2000-01, as reported by the FCI, is indicated below:

Storage losses	Rs. 227.00 crore*
Transit losses	Rs. 172.00 crore*
Theft/pilferage	Rs. 18.90 lakh*

*Provisional

Appropriate departmental action, including recovery of losses, is taken against the officials found responsible for various losses. Criminal action is also taken, where warranted. The details of action taken against the persons involved during the year 2001 is given in the Statement-I.

Statement-I

Details relating to action taken against the FCI employees responsible for various irregularities committed by them including losses during the year 2001.

S. No.	Nature of Penalty Imposed	
1.	Dismissal/removal/compulsorily retired	45
2.	Reduction in rank	50
3.	Reduction in time scale of Pay	415
4.	With-holding increment/recovery from pay	647
5.	With-holding of promotion	14
6.	Censure	196
	Total	1367

DR. ARUN KUMAR SARMA: Madam, I want to draw your kind attention to the reply of the Minister pertaining to parts (c) and (d) of my

question. The replies to both the questions are incomplete. In part (c) of my question, I wanted to know the relevant information up to the year 2001. But, the information has been provided only up to the year 1998-99. And, in part (d) of my question, I wanted to know about the accumulated loss of the FCI on account of uneconomical purchase of foodgrains during this period. The reply is, "The information in this regard is not readily available." Madam, this House has a right to know as to what are the accumulated losses of the FCI, because of uneconomical purchase. We agree that some of the farmers in various parts of the country were to be helped by the Government purchase so that they could get the right price of their produce. But, Madam, this was not being properly implemented considering the requirement of the entire country. I want to give you an example. For the first time, after Independence, Assam became a rice surplus State during the year 2000-01. But the FCI did not purchase rice from Assam. However, the rice purchased from other parts of the country was sent to Assam. This rice was kept in godowns, and now this rice is not fit for human consumption. My specific question is: Would the hon. Minister ensure that there is no discrimination in purchase of rice and other commodities? Madam, the farmers in every nook and corner of the country should be treated equally. I want to know whether the Minister would ensure that in future procurements, no State will be discriminated against, and procurement of rice and other commodities will be ensured through the FCI, so that the farmer of every region is helped. And, secondly.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him answer. पहले एक सवाल का जवाब हो जाए, फिर दूसरा पूछिएगा।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Madam, this is related to the question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No; please, because everything is related. Whatever questions would be put would also be related.

DR. ARUN KUMAR SARMA: Madam, only one question please.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him answer. Let it percolate and be answered. Then, you can put your other queries. Yes; Mr. Minister.

श्री शरद यादव: उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य ने असम के बारे में कहा है कि जो प्रोक्योरमेंट है, निश्चित तौर पर उसका देश में विस्तार होना चाहिए और मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि असम के मामले में भी इस बार हमने 30 तारीख को अपने विभाग में बैंठक की थी और हमने यह तय किया है कि जो प्रोक्योरमेंट है, उसको दूर-दराज के इलाकों तक ले जाने का काम करें।

महोदया, माननीय सदस्य का जो सवाल है, उसमें सबसे ज्यादा एक बात की उन्होंने बार-बार जानकारी लेनी चाही है कि हम under relaxed specifications प्रोक्योरमेंट करते हैं। आप जानती हैं कि इस देश की खेती अधिकांशतः मौसम पर निर्भर है और यह मौसम पूरे देश में किसी भी समय एक सा नहीं रहता है। आज पूरे देश के एक बड़े हिस्से में अकाल पड़ा हुआ है। पानी अब बरस रहा है विलंब से और फसल जरुर खड़ी है, जैसे रात को ही लखनऊ के आसपास के इलाके में पानी बरसा है। अब धान की जो फसल खड़ी थी, जब वह धान आएगी तो वह थोड़ी बहुत मार खाएगी। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा और दूसरे हिस्से हैं। तो यह रिलेक्सेशन जो हम देते हैं, वह हिंदुस्तान के किसान की मदद करने के लिए देते हैं और मदद देते समय हम यह भी देखते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, वह हिंदुस्तान के ह्यूमन कंजम्पशन में कहीं दिक्कत तो नहीं देता है, तकलीफ तो नहीं देता है, उसके स्वास्थ्य को नुकसान तो नहीं पहुंचाता है?

उपसभापति महोदया:...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा: मैडम, आन्सर कौन सा हो रहा है?

उपसभापति: आन्सर क्वेश्चन नंबर 262 और 271 का हो रहा है।

श्री शरद यादव: उपसभापति महोदया, सवाल के सारे पहलुओं पर, जो बात ये कह रहे हैं कि असम सैल्फ सफिसियन्ट हो गया है। मैंने इसका जवाब दे दिया है कि इस बार हम लोग प्रोक्योरमेंट बढ़ाएंगे। इन्होंने कहा है कि कुछ आंकड़े ठीक नहीं दिए हैं, लॉसेज कितने हैं। लॉस के बारे में निश्चित तौर पर विभाग एग्जामिन कर रहा है और लॉस बताने में मैं असमर्थ इसलिए हूं कि हमारे पास ह्यूज क्वान्टेटी में अनाज है और जो लॉसेज हैं, उनको वैज्ञानिक तरीके से कैलकुलेट करने में समय लगता है, जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं माननीय सदस्य को भी जानकारी दे दूंगा।

उपसभापति: टेलीविजन पर रिपोर्ट थी कि पंजाब में कितना लॉस हुआ है, गेहूं सड़ गया है।

श्री शरद यादव: अच्छा किया एक सवाल आपने भी पूछ लिया। मैंने कहा कि...

उपसभापति: मैं भी इस हाउस की मेम्बर हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी: माननीय मंत्री जी का दोष यह है कि प्रधानमंत्री जी बार-बार उनके विभाग बदलते रहते हैं, बेचारे ठीक ढंग से स्टडी नहीं कर पाते हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभापति: मंत्री जी बहुत काबिल हैं, सब संभाल लेते हैं।

श्री शरद यादव: उपसभापति महोदया, पचौरी जी हमको बहुत लम्बे समय से जानते हैं और जो सवाल पूछा गया है, उससे और लम्बा सवाल पूछेंगे ...(व्यवधान)... महोदया, जो इन्होंने सवाल पूछा है, आप ढंग से उसको पढ़ लीजिए, खरीद में हम रिलेक्स करते हैं। इससे संबंधित सवाल है। जहां गेहूं पतला हो जाता है, धान मार खा जाता है, जौ मार खा जाता है, उसके बारे में यह

सवाल है। इस पर भारत सरकार का कितना लॉस हुआ है? मैं इसका पूरा विवरण दे दूंगा। आपका यह कहना है कि मैंने अध्ययन नहीं किया है तो मेरा इसके बराबर अध्ययन नहीं है, यह मानना है लेकिन इतना जरूर है ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : लेकिन बार-बार आपके विभाग नहीं बदलने चाहिएं, यह जो पीड़ा है आपके मन में ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is which Ministry he should hold.

श्री शरद यादव : उपसभापति जी, इस सवाल में यह सवाल है नहीं ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : नहीं-नहीं यह जुड़ नहीं रहा है, यह अलग सवाल है।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Madam, one more aspect of the issue is that the proper utilisation of the rice pockets through such a mechanism have not been reflected in the reply.

One more issue is regarding the Central Warehouses. The House is aware that Assam is a flood-prone area. Many areas of the Assam State are inaccessible for about six months, because of floods. They are mainly tribal areas like Madulai Island, Dunai and so on. Although rice is surplus in the State, it cannot be transported by the FCI storage depots to the remote areas during the time of floods. This phenomenon is being repeated every year during the last 50 years. Yet, till today the arrangement for storage of rice in those inaccessible areas is not being made. Madam, this is the prime duty of the Central Government to ensure that during floods every area gets the minimum foodgrains supply. It is not being ensured through proper arrangements of godowns and other facilities there. May I know from the hon. Minister whether he would specifically ensure creation of storage facilities in the inaccessible areas of the country during flood times so that there is no short supply of foodgrains there?

उपसभापति : आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

DR. ARUN KUMAR SARMA: Madam, I want to ask a question on one more issue.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, please. आप बैठिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। लैट हिम आनसर। आप बैठिए। ऐसे तो चावल और गेहूं के बड़े लम्बे किस्म हैं। पहले जवाब तो देने दीजिए।

श्री शरद यादव : इस सवाल में असम का विस्तार से कोई सवाल था नहीं, इसको पढ़ लीजिए। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह सूचित करना चाहता हूं कि हमने तीन तारीख को असम के लोगों की बैठक बुलाई है। इस बैठक को बुलाने का हमारा मकसद यही है कि असम का इलाका पूरे नॉर्थ-ईस्ट को कवर करता है। हम उसे सब्सिडी देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में तमाम तरह की सब्सिडी नॉर्थ-ईस्ट में असम को देते हैं। जहां तक स्टोरेज का मामला है तो मेरी जानकारी में स्टोरेज के मामले में कोई कमी नहीं हैं। लेकिन जहां तक कमी की बात है, तो माननीय सदस्य के सवाल पूछने से पहले ही बता दूं कि इस मामले में, असम के मामले में हम खुद ही सतर्क हैं। यद्यपि उन्होंने सवाल दूसरा पूछा है लेकिन इस मामले में हमने तीन तारीख को बैठक बुला ली है। जो सवाल ये पूछ रहे हैं, उसके उत्तर में यही कहूंगा कि जहां तक हमारी क्षमता है उस क्षमता में हम उसे हल करने का काम करेंगे ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : बस हो गया।

श्री शरद यादव : महोदया, हमने वह ऑफिस विदड्रा नहीं किया है। वे जो पूछ रहे हैं वह विदड्रा नहीं किया है।

उपसभापति : विदड्रा नहीं किया है। कौशिक जी आपका 271 भी जुड़ा हुआ है।

श्री रमा शंकर कौशिक : उपसभापति महोदया, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मेरे प्रश्न के "क" भाग का तो कोई उत्तर ही माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है।

उपसभापति : अभी सवाल तो पूछिए।

श्री रमा शंकर कौशिक : मैंने स्पष्ट रूप से पूछा है, प्रश्न के "क" भाग में देखिए कि भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त अनियमितताओं के कारण सरकार को कितना घाटा हुआ है? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है कि कितना घाटा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह 2001 में हुई अनियमितताओं के कारण जिन कर्मचारियों को सजा दी गई, उसका हवाला इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि 1367 लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई क्योंकि उनके कार्यों के कारण इनके खाद्य निगम को घाटा हुआ। लेकिन घाटा कितना हुआ, यह इन्होंने नहीं बताया। महोदया, यह बात तो इन्होंने 2001 की बताई लेकिन वहां तो लगातार घपले हो रहे हैं। 20 मार्च, 2002 के टेंडर में जो कट ऑफ कीमत है, 625 रुपये यू॰आर॰एस॰, 1997-98 के चावल के लिए और पुराने चावल की 565 रुपये कीमत रखी गई थी, उन कीमतों के आधार पर जो टेंडर पड़े, उन टेंडरों में कीमत 685 रुपए और 723 रुपये आई लेकिन उन टेंडरों का सौदा नहीं किया गया। खाद्य निगम ने इसके ऐवज में 20 मई को फिर से टेंडर डलवाए ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : लगता है आप ही जवाब दे रहे हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक : महोदया, मैं बता रहा हूं कि जो घपला हुआ है, घाटा हुआ है वह करोड़ों रुपये का हुआ है। यह 2001 में ही नहीं बल्कि 2002 में भी जारी है। हानि और भ्रष्टाचार का होना जारी है। लेकिन 20 मई को जो टेंडर डाले गए, उसमें कट ऑफ कीमत से भी कम है, 450 रुपये ...(व्यवधान)...

उपसभापति : सवाल तो पूछ लीजिए।

श्री रमा शंकर कौशिक : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 20 मार्च और 20 मई के टेंडरों में जो घपला हुआ है, उस घपले की जांच करने के बाद जो ऑफीसर्स, कर्मचारी शामिल हैं, क्या उन्हें सजा देंगे?

श्री संघ प्रिय गौतम : यह कैसे मान लें कि घपला हुआ है। हाइपोथैटिक सवाल पूछ रहे हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक : घाटा हुआ है।

उपसभापति : मंत्री जी जवाब देने दीजिए, बैठिए।

श्री शरद यादव : महोदया, माननीय कौशिक जी बहुत अनुभवी, एक्सपीरिएंस्ड और पुराने साथी हैं। उन्होंने जो बातें कहीं कि दो मामलों में गड़बड़ हुई तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इसे गड़बड़ नहीं मानता। यदि इनका यह कहना है तो मैं पूरी तरह से मुकम्मिल तौर पर जांच कराकर आपको और इस सदन को बताने के लिए तैयार हूं। रहा दूसरा सवाल तो एफ॰सी॰आई॰ इस देश का ऐसा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फूड के मामले में उसकी जो क्वांटिटी कैपेसिटी है, उसे मैनेज करने वाली यह दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है। निश्चित तौर पर इसे मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है। मैं यह मानता हूं कि इसमें गड़बड़ी है, दिक्कत है। आज के दिन 730 लाख टन अनाज हमारे पास स्टोर है। इसमें से 1,30,000 टन खराब हुआ है। यह खराब नहीं है, नीलामी लायक है। कैटल और दूसरी चीजों के लिए है। इसे सड़ा हुआ नहीं कह सकते हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक : खराब कह लीजिए।

श्री शरद यादव : यह आपके और इस देश की गरीब जनता के पैसे से खरीदा गया है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। 630 लाख टन अनाज है। उसमें से भी यदि परसेंटेज निकालेंगे तो 0.7 परसेंट पड़ेगा। दुनिया में कोई कंट्री नहीं होगी कि इतने बड़े, ह्यूज आपरेशन को करेगी और इतने बड़े लासेज नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि यह भी ज्यादा है। इसे भी कम करना है। तो निश्चित तौर पर जो माननीय सदस्य कह रहें हैं, जो बात उन्होंने कही है, आरोप लगाया है वह ठीक नहीं है, वाजिब नहीं है। कह रहे हैं कि पूरे गोदामों में सड़ रहा है, यह है, वह है। उपसभापति महोदया, मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं, सरकार की तरफ से एश्योर करना चाहता हूं। देश में अकाल का भी इस समय

बहुत बड़ा संकट है और चारों तरफ लगातार पिछले दिनों हमने सात मीटिंगे इस पर की होंगी कि जो हमारे पास फूड प्रेजर्व्ड है, स्टाक है उसको ठीक से सुरक्षित किया जाए, उसको कैसे निकाला जाए। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बीच में दुनिया में हमारा सातवां नम्बर हो गया था। राइस में हम दो नम्बर पर हैं। हम शुगर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी सब तरह से एफसीआई में जो अनाज था, उसको कैसे मैनेज किया जाए वह कर रहे हैं। देश में कइ इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है। आज राजस्थान में सूखा है, आज उत्तर प्रदेश में सूखा है, वेस्टर्न हरियाणा में जहां कभी नहीं था और राजस्थान में है, पंजाब में है ...(**व्यवधान**)... सुनिए मैं कह रहा हूं। पूरी बात सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। यानी जिन इलाकों में जहां कभी सूखा नहीं पड़ा था वहां है। लेकिन अकेले पंजाब में हमारा आधा स्टाक भरा हुआ है। पंजाब के सूखे से निपटने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास राजस्थान में सरप्लस है। हमारे पास हरियाणा में ओवर स्टाक है। मध्य प्रदेश में सफीशियंट है। सिर्फ हमको समस्या पड़ेगी जो आदिवासी इलाके हैं, छत्तीसगढ़ है ...(**व्यवधान**)

उपसभापति : उनको जवाब देने दीजिए। बीच में बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा। I want to hear.

श्री शरद यादव : आपका उड़ीसा है। इन इलाकों के बारे में कैसे निपटें और कैसे यहां अनाज पहुंचाया जाए इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। कौशिक जी लॉसेज के बारे में कह रहे हैं। लासेज के बारे में जो सवाल था तो निश्चित तौर पर मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि उसके बारे में हम कलेक्ट कर रहे हैं और हमको इन्फारमेशन मिलेगी तो हम कौशिक जी को दे देंगे।

श्री रमा शंकर कौशिक : मैडम...

उपसभापति : एक ही सप्लीमेंट्री।

श्री रमा शंकर कौशिक : 1,367 लोगों के खिलाफ किन कारणों से 2001 में कार्यवाही की, उसका तो नुकसान बता दें कि कितना नुकसान किया जिनकी उन्हें सजा मिली। यह भी नहीं बता रहे हैं। 2002 की बात मैं नहीं पूछ रहा हूं।

श्री शरद यादव : मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। बड़े पैमाने पर यह कार्यवाही हुई है। वह जानकारी मिलेगी तो मैं आपको पहुंचा दूंगा।

उपसभापति : पर इसमें सवाल के ''डी'' भाग में तो यह था, तो आपको जानकारी होनी चाहिए थी। Any way, Dr. Manmohan Singh.

DR. MANMOHAN SINGH: Madam, the Government of India, sometime ago, has appointed a Committee under Mr. Abhijit Sen to work out a long-term food policy. The recommendations of this Committee have appeared in this morning's newspaper. Would the hon. Minister lay a copy of that report on the Table of the House?

श्री शरद यादव : उपसभापति महोदया, माननीय मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही है, अभिजीत सेन कमेटी, जो एक हाई लेविल कमेटी हमने फूड ग्रेन पालिसी के बारे में बनायी थी उसकी रिपोर्ट कल उन्होंने सबमिट की है। उसको हमने वेब साइट में डाल दिया है। लायब्रेरी में रख दिया है और जब उसकी सारी कापियां ठीक से बन जाएंगी, क्योंकि दोनों सदन बड़े हैं फिर उनके ट्रांसलेशन में भी समय लगेगा, इसमें मुख्य तौर पर 6 सवालों पर उन्होंने अपनी राय को रखने का काम किया है, इसलिए कापियां बनने में समय लगेगा और जैसे ही वे कापियां हमको अवेलेबुल हो जाएंगी, वह रिपोर्ट जैसे ही पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और जब भी सदन चाहेगा, आपकी अनुमति होगी तो मैं उसको सदन के पटल पर रख दूंगा।

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य' : माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें बड़े विस्तार से धान, चावल और गेहूं इन तीन वस्तुओं की खरीद का विवरण दिया है। एक छोटा सा विवरण मोटे अनाज की खरीद का दिया गया है। इसमें यह लिखा है कि केवल 9 हजार टन बाजरा राजस्थान से खरीदा गया है। हमारी जो खरीद की नीति है उस नीति में हम मुख्य रूप से चावल धान और गेहूं ही खरीदते हैं। जिनके रख-रखाव की समस्या होती है और जो आसानी से सड़ जाते हैं, खराब होते हैं। मोटे अनाज को रखने में भी सुविधा है और खरीदारी अगर इसकी की जाए तो इसको अन्य राज्यों में भेजा भी जा सकता है। इसके साथ-साथ, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि केवल राजस्थान से ही यह खरीदारी किस कारण से हुई, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां पर कि इस प्रकार के अन्न की फसलों की अधिक पैदावार है, वहां से यह खरीदारी क्यों नहीं की जा सकी?

श्री शरद यादव : उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य ने ठीक और दुरुस्त बात कही है कि जो छोटे अनाज हैं यानी व्हीट और राइस को छोड़ करके उनकी खरीद का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, जो ठीक से इंतजाम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कहा है कि जो छोटे अनाज हैं, ज्वार है, बाजरा है ...(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य' : मैंने मोटे अनाज कहा है।

श्री शरद यादव : हां, मोटे अनाज।

उपसभापति : मोटे अनाज, साइज के हिसाब से छोटे हैं।

श्री शरद यादव : महोदया, वे कहीं छोटे अनाज कहलाते हैं और कहीं बड़े अनाज कहलाते हैं, अलग-अलग इलाकों की भाषा में अंतर है। मेरे इलाके में उसको छोटा अनाज कहते हैं, इसलिए मेरे मुंह से छोटे अनाज निकला। निश्चित तौर पर उनकी खरीद का बहुत अच्छा इंतजाम नहीं हुआ। अधिकांश स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे यह होता है। पिछली बार राजस्थान से 9 हजार टन हमने खरीदा था। माननीय सदस्य का सवाल ठीक है, निश्चित तौर पर इसके लिए आगे क्या किया जाए, कैसे इन छोटे अनाज वालों को, खास कर जो मौसम पर ही निर्भर रहते हैं और इनकी रोज़ी-रोटी भी इसी से

चलती है, इनको कैसे सहायता मिले और कैसे इनकी मदद की जाए, इसके बारे में हम अवश्य देखेंगे।

उपसभापति : महाराष्ट्र से क्यों नहीं लिया ...(**व्यवधान**)

श्री शरद यादव : महोदया, इसमें एक सवाल रह गया था, यानी इसके मामले में जैसे राजस्थान से आया, इसमें हमेशा जो खरीद होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट से रेक्वेस्ट आती है तब खरीद का काम शुरू होता। ऐसा सिलसिला बना हुआ है।

उपसभापति : श्री एकनाथ के॰ ठाकुर, जरा जल्दी सवाल पूछिए ताकि जल्दी जवाब आए so that we can take up another question.

SHRI EKANATH K. THAKUR : Madam, this is about the Statement-I where the details of the action taken against 1,367 employees and officers have been elaborated. Those who play with the food security of India play with the economic sovereignty of the nation, and I do not know whether the personnel administration of the FCI is so strong to take a view on these cases. These cases have been cited in the context of the losses and thefts. If there are thefts, how do they adopt various ways of punishment? Either an employee is honest or is not honest. Dishonest employees must go. In U.S.A., they say ....(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is your question?

SHRI EKANATH K. THAKUR: My question is, whether there is any rigourous personnel administration in the FCI; and whether the people are getting away after committing heavy thefts and playing with the food security of India. In one year, it is nearly 1,500 employees. We do not know how many have gone unpunished. There is a rot there. I do not know whether it is in the foodgrains or in the personnel administration. I want the Minister to answer what is being done in this regard by the administration.

श्री शरद यादव : महोदया, इनकी बात संपूर्ण सत्य नहीं है, अधूरा सत्य है, यानी ऐसा नहीं है कि कार्यवाही नहीं हुई है। वाकई मैं ठीक कह रहा हूं, क्योंकि जो डिसमिसल, रिमूवल और कंपलसरी रिटायरमेंट है वह 45 लोगों पर एक्शन हुआ, रिडक्शन इन रैंक 50 लोगों का हुआ, रिडक्शन इन टाइम स्केल और पे में 415 का हुआ है, विदहोल्डिंग ऑफ् इन्क्रीमेंट रिकवरी फ्रॉम पे, यह 647 लोगों का हुआ। सेंक्शंस 196 किए गए। महोदया, निश्चित तौर पर कार्यवाही करने पर और जोर लगाना होगा। मैं यह मानता हूं कि एफ॰सी॰आई॰ में गड़बड़ी है, लेकिन एफ॰सी॰आई॰ अच्छा काम भी कर रही है। अभिजीत सेन कमेटी ने अभी कहा है कि यह संस्था यूनिक है और इसे बने रहने चाहिए। इस ने देश की बहुत सेवा की है, लेकिन निश्चित तौर पर इस के जो लूपहोल्स हैं, जो

कमियां हैं, हम उन्हें दूर करने में लगे हैं और आज मैं इस विभाग का मंत्री हूं इसलिए नहीं बल्कि पिछले समय में जब श्री शांता कुमार जी मंत्री थे तब से इस के लिए काम चल रहा है। निश्चित तौर पर एक्शन भी लिए गए हैं, लेकिन एक्शन लेते समय एक आदमी की जिंदगी का सवाल रहता है। वह विभाग में सेवा करता है तो इस में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि इस में अदालत से लेकर सारी संस्थाएं इनवॉल्व हैं। महोदया, यह लोकशाही का देश है। ऐसे मामलों में मजबूत तरीके से चलते जरूर हैं, लेकिन इस में इतनी उलझनें और फंसाव हैं कि चीजें बहुत धीरे सरकती हैं।

उपसभापति : श्री मोती लाल वोरा।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय उपसभापति महोदया माननीय मंत्री जी ने तो कहा कि एफ॰ सी॰ आई॰ अच्छी संस्था रही है। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में एफ॰ सी॰ सी॰ में जो दुर्दशा देखने को मिल रही है, शायद इस के पहले एफ॰ सी॰ आई॰ में यह दशा नहीं रही होगी, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एफ॰ सी॰ आई॰ की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उस के अलावा बाहर बड़ी तादाद में धान, गेहूं और चावल के स्टॉक रखे हुए हैं जिस से कि वर्षा के दिनों में वह अनाज निश्चित रूप से सड़ जाता है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी देने की कृपा करेंगे कि एफ॰ सी॰ आई॰ की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और नए गोदाम बनाने की आप की कहां-कहां योजना है? महोदया, आप ने इस बात को कहा है कि यह संस्था अच्छी रही है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस संस्था का संचालन अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है तो क्या आप उस के डिसेंट्रलाइजेशन पर भी विचार करेंगे ताकि पूरब, पश्चिम के विभिन्न जोंस में इसे विभाजित कर के सही ढंग से इस की व्यवस्था की जाए? एक और बात यह कि कर्मचारियों को तो आप ने दोषी ठहरा दिया, लेकिन इस के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनकी एकाउंटेबिलिटी के बारे में आपने क्या निर्णय लिया है?

श्री शरद यादव: महोदया, माननीय वोरा जी दो, तीन बार मुख्य मंत्री रहे हैं और वे बड़े अनुभवी हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री मोती लाल वोरा: महोदया, मैं कितनी बार मुख्य मंत्री रहा, यह सवाल नहीं है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जब आज एफ.सी.आई. की कैपेसिटी से ज्यादा अनाज आप के पास आ रहा है और वह खेतों में, जमीन पर, अलग-अलग पड़ा रहता है और बर्बाद हो रहा है, उसके बारे में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... माननीय उपसभापति महोदया, पचौरी जी ने ठीक कहा कि यादव जी के विभाग लगातार बदलते रहे हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी उन से कितने खुश हैं कि इस बार आप को सब से महत्वपूर्ण विभाग मिला है। इसलिए इस विभाग में आप को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का एक अवसर मिला है, अब अगर आप इस में चूक गए तो न जाने आप के बारे में प्रधान मंत्री जी क्या सोच रहे होंगे, यह आप जानें।

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a good advice.

श्री शरद यादव: महोदया, एफ.सी.आई. की स्टोरेज कैपेसिटी 380 लाख टन है। इसके अलावा हमारे यहां स्टेट गवर्नमेंट्स और सी.डब्ल्यू.सी. हैं, वे भी बड़े पैमाने पर गोदाम रेंट पर देते हैं। अभी प्रधान मंत्री जी ने एक योजना बनायी है जिस के तहत बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट वेंचर में तथा कोल्ड स्टोरेज के बारे में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कई तरह की स्कीम्स फ्लोट करने का काम जारी है ताकि जो हमारी कैपेसिटी है, उसमें विस्तार करते हुए हम काम कर सकें। उसमें हमने सबसिडी का भी प्रावधान किया है और यह कदम हमने पहली बार उठाया है कि जो स्टोरेज की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम किया जाए। निश्चित तौर पर यह कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी भी हमारी अच्छी कैपेसिटी है। जो हमारा कैप कवर में अनाज रखा हुआ है, खुले में रखा हुआ है, उस संबंध में, मैं आपके माध्यम से माननीय वोरा जी को बताना चाहता हूं कि वह अनाज उसमें पूरी तरह से प्रिजर्व और सुरक्षित है। जैसा हल्ला किया जाता है कि वह अनाज सड़ गया है, बेकार हो गया है, खराब हो गया है, यह ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह कहना चाहता हूं कि वह अनाज हमारा सुरक्षित है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास जो अनाज है, उसमें कई जगह दिक्कत है, कई जगह वह खतरे में है, लेकिन एफसीआई का जो अनाज है उसको पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है।

सरदार गुरूचरण सिंह तोहड़ा: उपसभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि पहले तो उनको प्रैक्टीकल होना चाहिए, पंजाब का टूर करना चाहिए और जो अनाज गोदाम में, ओपेन गोदाम में पड़ा है, वह सड़ रहा है, गल रहा है, उसको देखना चाहिए तभी आप जवाब देने के काबिल हो सकेंगे। दूसरी मेरी बात यह है कि एफसीआई में चोरी बहुत होती है। हमारे गांव के साथ 45 गोदाम हैं और उन 45 गोदामों में अनाज और चावल रखा हुआ है। तीन महीने पहले की बात है कि वहां से 450/- रुपए, 500/- रुपए क्विंटल में गेहूं भरा जाता था। यह किसके लिए भरा जाता था? एक्सपोर्टर के लिए भरा जाता था। जो चावल वहां पड़ा था वह 600/- रुपए क्विंटल के भाव भरा जाता था। इस तरह 500/- रुपए क्विंटल में गेहूं और 600/- रुपए क्विंटल में चावल वहां से भरा जाता था, जबकि गेहूं का निर्धारित मूल्य 630/- क्विंटल था, जिस पर आपकी खरीद थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट उसे 500/- रुपए क्विंटल में गेहूं कैसे देती रही, एफसीआई कैसे देती रही? एक्सपोर्टर के नाम पर वहां से चोरी होती है।

उपसभापति: तोहड़ा जी, सवाल जरा संक्षेप में पूछिए क्योंकि काफी सवाल हो चुके हैं।

सरदार गुरूचरण सिंह तोहड़ा: मैडम, सवाल की समझ तभी पड़ेगी, जब मैं तफसील से बात करूंगा।

उपसभापति: इस पर डिसकशन कर लेंगे, लेकिन अभी आप सवाल पूछिए।

सरदार गुरूचरण सिंह तोहड़ा: मैडम, सीधे प्रश्न तो हो नहीं सकता क्योंकि इस क्वैश्चन में बहुत भेद छिपा हुआ है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस गेहूं का निर्धारित मूल्य 630/-

रुपए पर खरीद है, वह 500/- रुपए में कैसे एक्सपोर्टर के नाम पर उठाया गया और चावल, जिसका निर्धारित मूल्य 800/- रुपए था कैसे 600/- रुपए में उठाया गया? और, उन एक्सपोर्टरों की एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ लिमिट कैसे कर दी गई? जो बैंक लिमिट थी, वह कौन देता है और उनको किसने अधिकार दिए थे? वहां इतनी चोरी हो रही है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते।

उपसभापति: ठीक है, तोहड़ा जी, हो गया। मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं।

श्री शरद यादव: उपसभापति महोदया, मैं तोहड़ा जी की इस बात को मानता हूं कि जो पंजाब है, उसमें हमारा फूड और सिविल सप्लाई विभाग का भविष्य और वर्तमान दोनों निर्भर करता है। उनका निश्चित तौर पर यह कहना कि हमको घूमना चाहिए, बात यह भी आप ठीक कह रहे हैं। हम अभी पन्द्रह-बीस दिन से यहां हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने यह बात ठीक कही। दूसरी बात उन्होंने एक्सपोर्ट की कही। महोदया, आप जानते हैं कि इस देश में जो सरप्लस स्टाक है, वह हमारे पास इतना ज्यादा है, जैसी अभी कई माननीय सदस्यों ने भी चिंता व्यक्ति की कि उसके सड़ने की बहुत संभावना है, इसलिए हमारे जो प्रिडिसेसर हैं उन्होंने और सरकार ने यह तय किया कि इसका किस तरह से ज्यादा से ज्यादा ठीक तरह से इस्तेमाल हो यानि ऑक्शन के जरिए, फूड फोर वर्क के जरिए, अंत्योदय योजना के जरिए और ग्रामीण विकास की जितनी भा योजनाएं हैं उनके जरिए से उस अनाज को बड़े पैमाने पर लोगों को खाने के लिए दिया जाए। जहां ड्राउट हो गया है, जहां साइकलोन हो गया है, उसके लिए भी बड़े पैमाने पर उसको सस्ते में देने का काम हमने किया है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में भी निश्चित तौर पर हमने जाने का काम किया है, ...(व्यवधान)... मैडम, उसमें हमने जो रिलेक्सेशन दिया है, वह रिलेक्सेशन में वाजिब मानता हूं।

सरदार गुरूचरण सिंह तोहड़ा: मैं यह जानना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट कहां हुआ है?

Smooth run on National Highways

†*263. SHRI B.J. PANDA:
SHRI MOOLCHAND MEENA:

Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring out a legislation to ensure smooth run on highways, as reported in the "Financial Express" dated the 26th June, 2002; if so, the details thereof;

(b) whether it is proposed to constitute a body which would monitor the work of clearing encroachments, preventing traffic congestions, etc., if so, the details thereof;

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri B.J. Panda